भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1036

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

आपराधिक जांच में मानक परिचालन प्रक्रिया का अभाव

1036. श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अभाव में अंधिकाशं जांच अधिकारी अपराध स्थलों से जैविक साक्ष्य का गलत संग्रहण कर जांच में गड़बड़ी करते हैं:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा दोषसिद्धि की दर में बढोंतरी के उद्देश्य से खामियों की पहचान करने तथा इस प्रयोजनार्थ एकसमान एसओपी तैयार करने हेतु कौन-से सुधारात्मक कदम उठाए गए है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क)से(ग): सीबीआई के अधीन आने वाली केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (सी एफ एस एल), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि अपराध स्थलों से जैविक सैंपल के संग्रह के लिए उनके अपने दिशा-निर्देश/ मानक प्रचालन प्रक्रिया(स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसी जर) (एसओपी) हैं। तथापि, विधि विज्ञान सेवा निदेशालय (डीएफएसएस) के अधीन आने वाले चंडीगढ़, कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल, पुणे और गुवाहाटी स्थित सीएफएसएल , अपराध स्थलों से जैविक सैंपल इकट्ठा नहीं करते हैं और वे सिर्फ जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए सैंपलों का परीक्षण करते हैं।